



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची  
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

कक्षा आठ की परीक्षा, 2025 के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या- .....01...../2025

एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के निदेशानुसार कक्षा आठ की परीक्षा ओ0एम0आर0 सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उक्त के आलोक में परिषद् द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा।

कक्षा आठ की परीक्षा, 2024 का कार्यक्रम

Date & Days	1 <sup>st</sup> Sitting 9.45 A.M. to 1.00 P.M. Paper - I	2 <sup>nd</sup> Sitting 2.00 P.M. to 5.15 P.M. Paper - II
28.01.2025 (Tuesday)	हिन्दी, अंग्रेजी तथा अतिरिक्त भाषा विषय में से कोई एक	गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान

- उक्त विषयों की परीक्षा ओ0एम0आर0 सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 50 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे एवं 100 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा।


सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि कक्षा आठ की परीक्षा, 2025 का प्रवेश पत्र दिनांक 18.01.2025 से परिषद् के वेबसाईट [www.jac.jharkhand.gov.in](http://www.jac.jharkhand.gov.in) से डाउनलोड कर संबंधित छात्र/छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि परिषद् के वेबसाईट के माध्यम से दिनांक 20.01.2025 से 10.02.2025 तक की जाएगी।  
नोट :- सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जायेगा।

ज्ञापक - JAC | जॉ. | 1623 | 19 | Secy | 04 | 25

दिनांक 3.1.2025

दिनांक - DOP - 4.1.2025

अध्यक्ष के आदेश से,

  
3/01/25

सचिव




झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

ज्ञापांक : JAC/जौ०/1623/19/Secy/04/25 ..... दिनांक : 3.1.2025

विज्ञप्ति प्रेषित : (1) मे० आर० डी० एस० मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाईजिंग ग्रुप, राँची को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को (क) प्रभात खबर झारखण्ड, (ख) दैनिक भास्कर झारखण्ड, (ग) दैनिक जागरण झारखण्ड एवं (घ) हिन्दुस्तान झारखण्ड के आगामी दिनांक 04.01.2025 के संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशन सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति प्रकाशनोपरान्त देयक की दो प्रतियाँ निर्धारित डी०ए०भी०पी० दर पर परिषद् कार्यालय में भेज दें।

(2) वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विज्ञप्ति को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।



  
सचिव,  
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,  
राँची।